हेतु दिनांक 27.10.25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

27/10/25 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि आराजीयात के संबंध में पक्षकारान के हकों का निर्धारण दावे में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के पश्चात तथा गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े एवं कानूनी पेचीदगीयाँ पैदा नहीं हो।

इसको ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.11.2024 को तायेफसला मूलवाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूल वाद हो।

(हस्ताक्षर)

(राधेश्याम मीना)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज॰